तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5355/2009/बाडमेर</u>** **हंसाराम बनाम टीपू**	
14-10-19	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री सुमित जैन अभिभाषक अप्रार्थी (3) श्री समीर अहमद अभिभाषक प्रा.प.आ.1नि.10 **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के आदेश दिनांक 30–3–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानी की सुनवाई के दौरान प्रार्थी हंसाराम तथा अप्रार्थी टीपू बेबा धर्माराम द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अतिरिक्त निबन्धक न्याय द्वारा पक्षकारान एवं उनके अभिभाषक की उपस्थिति में दिनांक 8–5–2019 को तस्दीक किया गया है। उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामे के अनुसार निगरानी को निर्णित करने का निवेदन किया। उक्त राजीनामा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थीगण पानी देवी बेबा हस्तीमल, मादाराम पुत्र गोरधन, करता राम पुत्र गोरधन,रायचन्द पुत्र गोरधन समस्त जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्णित आराजी में उनका हित निहित है इसलिये उन्हें अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाने के आदेश प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5355/2009/बाडमेर</u>** **हंसाराम बनाम टीपू**	
	किये जावे। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम प्रार्थीगण पानी देवी बेबा हस्तीमल, मादाराम पुत्र गोरधन, करता राम पुत्र गोरधन,रायचन्द पुत्र गोरधन समस्त जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर द्वारा उन्हें पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार निस्तारण किया जावे। प्रार्थीगण पानीदेवी वगैरा आगामी तारीख पेशी 30–10–2019 को इस बाबत प्रार्थना पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तदुपरान्त पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 8–5–2019 के बाबत आदेश पारित करें। मण्डल के समक्ष प्रस्तुत मूल राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे। सुलभ सन्दर्भ हेतु राजीनामे की एक प्रति मण्डल की पत्रावली में संलग्न की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	